संख्या—1083 / 60—3—2016—18 सा0 / 15

प्रेषक,

नीलिमा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग—3 लखनऊः दिनांकः २२ नवम्बर, 2016

विषयः— उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या—506, दिनांक 28.09..2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना हेतु आवंटित धनराशि के उपभोग का समय दिनांक 31.03.2017 तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— वित्तीय वर्ष 2015—16 में शासनादेश संख्या—1130 / 60—3—2015, दिनांक 11.03.2015 द्वारा उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत 25 शैयाओं की बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना के लिये रू0—745.41 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस मूल स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या—704 / 60—3—2016, दिनांक 12.08. 2016 द्वारा अवशेष द्वितीय किश्त रू0—150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा उक्त यूनिट की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या—735 / 60—3—2016, दिनांक 12.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष रू0—917.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये मूल स्वीकृति से बढ़ी हुयी धनराशि के लिये अतिरिक्त धनराशि रू0—172.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या—341 / 60—3—2016, दिनांक 30.03.2016 द्वारा तत्समय स्वीकृत की गयी धनराशि के उपभोग की अवधि को छः माह बढ़ाते हुये दिनांक 30.09.2016 तक विस्तारित किया गया था।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के अनुरोध पर उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में स्वीकृत की गई धनराशि के उपभोग की तिथि को दिनांक 30.09.2016 से छः माह की अवधि के लिये विस्तारित किया जाता है।

इस प्रकार किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा चिकित्सालय शिक्षा विभाग के माध्यम से इन कार्यों हेतु उपयोगिता प्रमाण—पत्र दिनांक 31.03.2017 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीया,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या—1083(1)/60—3—2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. कुलपति, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
7. कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।
8. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

C-2 tandan ji-go